संख्या-014-वीजीएल-061
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली
दिनांक : 03 दिसम्बर, 2014

**परिपत्र सं0 08/12/14**

**विषय: अनुशासनिक मामलों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग से द्वितीय चरण के परामर्श - सतर्कता मैनुअल में संशोधन के संबंध में ।**

**संदर्भ** : (i) **दिनांक 28.01.2010 की सं0 009/वीजीएल/056 द्वारा जारी आयोग का कार्यालय आदेश सं0 03/01/10 ।**

(ii) **दिनांक 07.12.2012 की सं0 010/वीजीएल/095 द्वारा जारी आयोग का परिपत्र सं0 17/12/12 ।**

वर्तमान में, सतर्कता मामलों/अनुशासनिक कार्यवाहियों में आयोग से दो चरणों में परामर्श लिया जाता है अर्थात अन्वेषण रिपोर्ट पर प्रथम चरण की सलाह ली जाती है तथा कार्यवाहियों की समाप्ति पर अंतिम निर्णय लेने से पहले द्वितीय चरण की सलाह ली जाती है ।

2. आयोग ने दिनांक 28.01.2010 के अपने कार्यालय आदेश सं0 03/01/10 द्वारा मिश्रित मामलों के संबंध में जिनमें कि मामले में शामिल सभी वर्ग के अधिकारियों के संबंध में प्रथम चरण की सलाह दी गई थी उनमें आयोग की अधिकारिता में नहीं आने वाले अधिकारियों के संबंध में द्वितीय चरण की सलाह प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया था । वर्तमान में, ऐसे अधिकारियों के मामले, तभी भेजे जाने की आवश्यकता है जब अनुशासनिक प्राधिकारी की राय/दृष्टिकोण, आयोग की सलाह से भिन्न हो । इसके अतिरिक्त, आयोग ने दिनांक 07.12.2012 के अपने परिपत्र सं0 17/12/12 द्वारा केन्द्रीय सरकार के समूह `क` के अधिकारियों, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों तथा अधिकारियों की उन श्रेणियों के संबंध में अनुशासनिक कार्यवाहियों की समाप्ति पर द्वितीय चरण की सलाह में परामर्श लिया जाना समाप्त कर दिया था जिनमें वर्तमान नियमों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है ।

3. आयोग ने परामर्श प्रक्रिया की और समीक्षा करने पर तथा अनुशासनिक कार्यवाहियों का शीघ्र निपटान करने के लिए अब यह निर्णय लिया है कि आयोग की द्वितीय चरण की सलाह के लिए उन मामलों में परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है, जहां अनुशासनिक प्राधिकारी, उन अधिकारियों के संबंध में जो आयोग की अधिकारिता के भीतर भी आते हैं, अनुशासनिक कार्यवाहियों की समाप्ति पर, ऐसी शास्ति लगाने का प्रस्ताव देते हैं जो आयोग की प्रथम चरण की सलाह के अनुरूप है । अब से, ऐसे मामलों पर संगठन/विभाग में संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा अनुशासनिक प्राधिकारी के स्तर पर कार्रवाई की जाएगी । तथापि, अधिकारियों के ऐसे सभी मामलों में, आयोग के रिकार्ड के

लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी, जांच अधिकारी के निष्कर्ष की प्रति तथा अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जारी अंतिम आदेश के साथ, की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को भेजें । आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे सभी मामले जहां अनुशासनिक प्राधिकारी आयोग की प्रथम चरण की सलाह से भिन्न कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव करते हैं, वहां द्वितीय चरण की सलाह प्राप्त करने के लिए आयोग को संदर्भ भेजना जारी रहेगा ।

4. उपर्युक्त अधिकारियों के वर्गों के संबंध में द्वितीय चरण की सलाह प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त करके, आयोग यह अपेक्षा करता है कि (i) मुख्य सतर्कता अधिकारी ऐसे मामलों पर पर्याप्त जांच एवं पर्यवेक्षण रख सकेंगे तथा आयोग द्वारा अनुबद्ध समय सीमा के भीतर मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करेंगे; तथा (ii) संबंधित अधिकारी को दी गई शास्ति, उसके द्वारा किए गए कदाचार की गंभीरता के अनुरूप होगी । यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयोग की अपेक्षाओं को पूर्ण किया जा रहा है, आयोग कार्यस्थलों पर दौरों के माध्यम से सतर्कता अंकेक्षण करने के लिए अपने अधिकारी तैनात कर सकता है । यदि आयोग को ऐसा कोई मामला मिलता है, जिस पर उसके विचार में, उचित तरीके से कार्रवाई नहीं की गई है, तो आयोग उचित प्राधिकारी द्वारा इसकी समीक्षा की सिफारिश कर सकता है अथवा ऐसे निर्देश दे सकता है जो आयोग उचित समझता है ।

5. सतर्कता मैनुअल, खण्ड.I (छठा संस्करण) का पैरा 2.14.3 तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में सतर्कता प्रबंधन पर विशेष अध्यायों के सम्बद्ध भाग उपर्युक्त अनुसार संशोधित समझें जाएं ।

ह0/-
(जे. विनोद कुमार)
विशेष कार्य अधिकारी

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में सचिव ।
2. सभी संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव ।
3. मंत्रालयों/विभागों में सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी ।
4. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/बीमा कंपनियों/स्वायत्त निकायों/समितियों/स्थानीय प्राधिकारियों के सभी अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।
5. मंत्रालयों/विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/बीमा कंपनियों/ स्वायत्त निकायों/समितियों/स्थानीय प्राधिकारियों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी ।